आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नियमित वाद सं. 20/2019 राजेन्द्रपाल कालड़ा विरूद्ध सतीश कुमार आदि** **(CIS No. 20/2019)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हुए
04.05.2026	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा वादी राजेन्द्रपाल कालड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सि.प्र.सं. व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सि.प्र.सं. दिनांकित 09.4.26 का निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी पक्ष की ओर से दिनांक 09.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सि.प्र.सं. प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया कि वादी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर दिनांक 17.01.26 को वाद में संशोधन किया जाकर वाद में चरण सं. 4(क) नया जोड़ा गया था, जिसमें वादी ने कथन किया कि तथाकथित वसीयत दिनांक 26.12.2020 में एक दस्तावेज फैमली सेटलमेंट (बंटवारानामा) दिनांक 27.05.2019 का हवाला दिया गया है। उक्त फैमली सेटलमेंट जो वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अपनी सहमति व रजामन्दी से निष्पादित करवाया गया है, का वर्णन किया है। उक्त तथ्यों के संबंध में सद्भावी भूल के कारण अनुतोष में संशोधन किए जाने से रह गया है, जो उक्त तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। वाद के सही न्याय निर्णय हेतु उक्त फैमिली सेटलमेंट दिनांक 27.05.2019 के संबंध में अनुतोष जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र के अनुतोष की चरण सं.(क) में ही अंतिम शब्द 'बंटवारा किया जावे' के पश्चात् प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार उक्त अनुतोष जोड़े जाने का निवेदन किया। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सि.प्र.सं. प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के समान तथ्य वर्णित करते हुए अभिव्यक्त किया गया है कि फैमिली सैटलमेंट दिनांक 27.5.2019 जो निष्पादित करवाया गया है, उक्त तथ्यों के संबंध में विवाद्यक सं.4(1) इस प्रकार बनाया जावे कि क्या वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा आपसी सहमति एवं रजामंदी से फैमिली सैटलमेंट दिनांक 27.5.2019 निष्पादित करवाया गया, यदि हां, तो इस पर वाद का क्या प्रभाव पड़ेगा ? प्रतिवादी सं. 2 व 4 की ओर से दोनों प्रार्थना पत्रों का पृथक–पृथक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अभिव्यक्त किया कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में संशोधन के माध्यम से चरण सं. 4 (क) अवश्य जोड़ी गई थी, किंतु चरण सं. 4 (क) के माध्यम से वादी के द्वारा केवलमात्र प्रतिवादी सं. 2 व 4 द्वारा जो वसीयत दिनांकित 26.12.20 Prepound की गई थी, उसकी सत्यता को विवादित करने के उद्देश्य	

से चरण सं. 4 (क) का समावेश कर वसीयत दिनांकित 26.12.20 को आक्षेपित किया गया। चूंकि वसीयत दिनांकित 26.12.20 में कथित बंटवारानामा दिनांकित 27.05.19 का हवाला था। वादी के द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि दिनांक 27.05.19 का बंटवारानामा वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा आपसी सहमति व रजामंदी से निष्पादित करवाया गया है। संपूर्ण वाद पत्र में दिनांक 27.05.2019 का कथित बंटवारानामा को वाद का आधार नहीं बनाया गया है और न ही ऐसे कथित बंटवारानामा दिनांक 27.05.19 की कोई Foundational plea वाद पत्र में अभिकथित की गई है और न ही कथित बंटवारानामा वाद की विषयवस्तु है। ऐसी सूरत में उक्त कारणों में केवलमात्र अनुतोष में संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। वादी के द्वारा वाद पत्र में प्रश्नगत सम्पत्ति में अपना 1/4 अविभाजित हिस्सा होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त कथित बंटवारानामा के आधार पर वादी को एक विशिष्ट हिस्सा प्राप्त होना प्रकट होता है और ऐसी परिस्थिति में जो अनुतोष वादी के द्वारा वाद –पत्र में पूर्व में अधियाचित किया गया है, उसके पूर्णतः विपरीत वादी इस प्रार्थना–पत्र में प्रस्तावित संशोधन से विरोधाभासी अनुतोष का समावेश करवाना चाहता है। अतः संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित विवाद्यक वाद के निस्तारण के लिए पूर्णतः निरर्थक है और इसको विरचित किए जाने से अनावश्यक रूप से वाद की परीधि का विस्तार होगा व वाद का सही रूप से निस्तारण नहीं हो पाएगा।

पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वादी की ओर से संपत्ति विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है और पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में आदेशिका दिनांक 17.1.2026 द्वारा वादी पक्ष को वादोत्तर में अभिकथित वसीयत दिनांकित 26.12.2020 के क्रम में वाद में संशोधन हेतु अनुमति दी गई और उस संबंध में मद संख्या 4(क) संयोजित करते हुए संशोधित वाद पत्र पत्रावली पर पेश किया गया और अब यह अनुतोष में संशोधन चाहता है। जबकि साक्ष्य प्रतिवादी में पांच गवाहन के बयान हो चुके हैं। इस स्तर पर अब अनुतोष में संशोधन अनुज्ञात किए जाने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अनुतोष का स्तर वृहद होता है और उसमें प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जो अनुतोष बनता है,वो

पक्षकारान को दिलाया जाता है तथा अभिकथित सभी तथ्य प्रारंभ से ही इनके ज्ञान में रहे हैं व जिस तथ्य बाबत संशोधन चाहा गया है, वह मूल वाद का आधार नहीं होने के कारण वाँछित संशोधन हेतु अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है और इसी अनुरूप प्रकरण में उक्त संदर्भ में कोई विवाद्यक विरचित किए जाने का भी कोई आधार नहीं है व प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

निष्कर्षतः वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सि.प्र.सं. व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सि.प्र.सं. दिनांकित 09.4.26 एतद्द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं। आदेश सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)